न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 15/2020–21

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
	आवेदक श्री मंगल मुण्डा, रंजीत मुण्डा दोनो पिता –स्व0 हड़बड मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम– बसिया थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।	

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
बसिया	50	203/2	1801	1.00 एकड़ में से 0.75 एकड़	टाम टाड़ ।

चौहदी :– उत्तर – तुलसी मुण्डा बगैरह
दक्षिण –रॉची सिमडेगा रोड़
पूरब – मंगरा मुण्डा बगैरह पश्चिम – नीज

जमीन विक्रेता का विवरणी

श्री मंगल मुण्डा, रंजीत मुण्डा दोनो पिता –स्व0 हड़बड मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम– बसिया थाना – बसिया, जिला– गुमला

जमीन क्रेता का विवरणी

संतोष कुमार मुण्डा पिता– मंगल मुण्डा जाति – मुण्डा, ग्राम– बसिया थाना बसिया, जिला गुमला ।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित **क्रेता** संतोष कुमार मुण्डा पिता– मंगल मुण्डा जाति – मुण्डा, ग्राम– बसिया थाना बसिया जिला गुमला को राशि रूपये 4,00,000 (चार लाख) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रूपय की आवश्यकता है। रूपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया

को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 494 /रा0 दिनांक 05/11/2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक श्री मंगल मुण्डा, रंजीत मुण्डा दोनो पिता –स्व0 हड़बड मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम– बसिया थाना – बसिया, जिला– गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)